

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्रमांक/एसबीटीसी/2020/2888

भोपाल, दिनांक 19/02/2020

प्रति,

चेअरमेन,
रेडक्रास सोसायटी - मध्य प्रदेश स्टेट ब्रांच,
रेडक्रास भवन,
भोपाल 462016
मध्य प्रदेश

विषय: रेडक्रास सोसायटी द्वारा संचालित ब्लड बैंक के द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क प्राप्त करने के संबंध में दिशा-निर्देश ।

रेडक्रास संस्था एक नॉन प्राफिट मेकिंग परमार्थ संस्था है, अतः रेडक्रास संस्था के माध्यम से संचालित ब्लड बैंक के द्वारा गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को / आकस्मिकता की स्थिति में रक्त अथवा रक्त कम्पोनेंट प्रदाय करने पर ब्लड बैंक द्वारा शासकीय चिकित्सालय में उपचार प्राप्त कर रहे सभी श्रेणी (बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल.) के मरीजों से किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए । संबंधित अस्पताल द्वारा भी इसके एवज में कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी ।

शासकीय चिकित्सालयों में प्रायवेट वार्ड में भरती होकर उपचार प्राप्त कर रहे मरीजों एवं प्रायवेट चिकित्सालयों में उपचाररत मरीजों से ब्लड प्रदाय करने पर प्रोसेसिंग चार्ज निम्नानुसार दर्शाई दरों के अनुरूप प्राप्त किया जा सकता है, उक्त दरें अधिकतम सीमा को दर्शाती हैं:-

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| • होल ब्लड | - | रुपये 1050 प्रति यूनिट |
| • पैक सेल | - | रुपये 1050 प्रति यूनिट |
| • फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा | - | रुपये 300 प्रति यूनिट |
| • प्लेटलेट | - | रुपये 300 प्रति यूनिट |
| • क्रायोप्रेसिपिपेट | - | रुपये 200 प्रति यूनिट |

उपरोक्त निर्देशों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा अनुमोदित


(राकेश मिश्रा)


संयुक्त संचालक (एस.बी.टी.सी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/एसबीटीसी/2020/2889

भोपाल, दिनांक 19/02/2020

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ प्रेषित :-

1. ड्रग कन्ट्रोलर जनरल (इंडिया), भारत सरकार, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, केन्द्रीय औषधी मानक नियंत्रण संगठन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली 110002
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, स्थानीय कार्यालय।
5. संचालक, राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली-110 001
6. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश।
7. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
8. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9. डिप्टी ड्रग कन्ट्रोलर जनरल (इंडिया), भारत सरकार, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सब जोन इंदौर, 67-72, टाइप-ए ग्रिफिन्स कॉलोनी, पिपल्याहाना रोड, इंदौर-1
10. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल।
11. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला रेडक्रास सोसायटी जिला - भोपाल, ग्वालियर एवं नीमच, मध्यप्रदेश ।
12. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
13. उप संचालक (मातृत्व स्वास्थ्य), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
14. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
15. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
16. अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल।
17. आदेश नस्ती।


संयुक्त संचालक (एस.बी.टी.सी.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश